संख्या– — / ।।(02)–2019–03(17)/2012 टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग –02 **देहरादून : दिनांक 17 जनवरी, 2020**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य सैक्टर जल संवर्द्धन/संरक्षण मद के अन्तर्गत योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युत विषयक आपके पत्र संख्या–3840/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/पी–27(राज्य सैक्टर), दिनांक 15.10.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संवर्द्धन एवं संरक्षण मद के अन्तर्गत नई योजना हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत रू0 53.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 में संगत मद में प्रावधानित अवशेष धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 21.20 लाख (रू0 इक्कीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

धनराशि लाख रू0 में

क्र. स.	योजना का नाम	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत।	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
01	जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम कोटगांव में जलाशय के निर्माण की योजना।	53.00	21.20

(i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(iv) आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(v) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2020 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को

उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(viii) उक्त व्यय में बजट मेनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)–2017/XXVII (1)/2019, दिनांक 29.03.2019 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य सैक्टर जल संवर्द्धन एवं संरक्षण मद में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत व्यय–80–सामान्य व्यय–051–निर्माण–02–जल संवर्द्धन एवं जल संरक्षण के जलाशय एवं पेयजल आपूर्ति आदि का निर्माण (4701–80–800–03 से स्थानान्तरित)–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–445/XXVII(2)/2019 दिनांक 14, जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या–2025(1)/ I I(02)–2019–03(17)/2012 टी0सी0,तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
11. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।